

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्रमांक एफ ए 3-35/2017/1/पांच (18) मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 11 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-32/2017/1/पांच (72) दिनांक 21 जुलाई, 2017 में प्रकाशित किया गया था, के क्षेत्र-विस्तार और उसकी प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है, एतद्द्वारा, उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (vi) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित करती है, यथा:-

“स्पष्टीकरण 2- इस मद में वस्तुओं का केवल वही परिवहन शामिल है जो कि भारत में स्थित किसी स्थान से भारत में स्थित किसी दूसरे स्थान तक होता है, अर्थात भारत के ही भीतर बहुप्रकारीय परिवहन”

2. उपर्युक्त मद के वर्तमान स्पष्टीकरण को अब स्पष्टीकरण 1 लिखा जाएगा।
3. यह अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी, 2019 से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

क्र. एफ. ए-3-35-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-35-2017-1-पांच (18), दिनांक 8 फरवरी, 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 8th February 2019

No. F A 3-35/2017/1/V (18) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary to do so for the purpose of clarifying the scope and applicability of this department notification No. F A3-32-2017-1-V(41) dated 29 June, 2017, hereby inserts the following Explanation in the said notification, in the Table, against serial number 9, in column (3), in item (vi), namely:-

“Explanation 2.-Nothing contained in this item shall apply to supply of a service other than by way of transport of goods from a place in India to another place in India”.

2. The existing *Explanation* in the above items shall be renumbered as *Explanation 1*.

3. This notification shall Deemed to have come into force w.e.f. 1st January, 2019.

By order and in the name of Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

क्र. एफ. ए-3-74-2017-1-पांच (19).—

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2019

राज्य सरकार, मध्यप्रदेश भाल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की पारा 147 द्वारा प्रदत्त लियोतों का प्रयोग करते हुए, परिवहन की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-74-2017-1-पांच (137) दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 में जिम्मेदारियां संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,

(ii) सारणी के स्तरम् (2) में क्रम सं. 1 के सामने प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु इस प्रकार पूर्ति किए गए भाल का उपयोग, जब लियोत, ऐसे लियोतों के विनिर्भाण में प्रयुक्त इनपुटों पर इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करने के पश्चात् पहले ही कर दिया गया हो, कराधेय भाल (शून्य दर या पूर्णतः सूटप्राप्त भाल से जिन्न) के विनिर्भाण और पूर्ति में किया जाएगा और थार्ट्ड अकाउंटेंट से इस प्रमाणपत्र, राज्य कर आयुक्त या उसके द्वारा प्राप्तिकृत किसी अन्य अधिकारी को, ऐसी पूर्ति के छह मास के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया हो,;

परंतु यह और कि यदि लियोत भाल के विनिर्भाण में प्रयुक्त इनपुटों पर इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग नहीं किया गया है तो ऐसा प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं होगा। ”;

(iii) स्पष्टीकरण में क्रम संख्या 1 के सामने “पूर्ण आयात आधार पर” शब्दों का लोप किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 15 जनवरी, 2019 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण परमार, उपसचिव.